विशेष वाहक द्वारा

संख्या:-110/2015/2712/14-1-2015-300(11)/2004टीसी

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ

वन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर,2015

विषय:- श्री जय सिंह राठौर, भा0व0से0, (से0नि0) उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-ई0शा0-382/1-833, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जय सिंह राठौर, भा0व0से0 उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के पद से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31-08-2015 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण् संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-367/2-1(पे0), दिनांक 28-09-2015 द्वारा प्रेषित श्री जय सिंह राठौर, भा0व0से0 के पेंशन प्रपत्र 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है:-

(1) फार्म संख्या-5
(2) अधिकारी एवं उनकी पत्नी के नमूने के हस्ताक्षर
(3) अधिकारी एवं उनकी पत्नी की ऊँचाई एवं पहचान चिन्ह
(4) अधिकारी एवं उनकी पत्नी की संयुक्त फोटो
(5) परिवार का विवरण।
(6) पेंशन एवं ग्रेच्यूटी हेतु स्वीकृति पत्र
(7) फार्म संख्या-6
(8) पेंशन राशिकरण हेतु आवेदन पत्र-डी
(9) फार्म संख्या-9
(10) अदेयता प्रमाण पत्र
(11) विगत पांच वर्षो का अदेयता प्रमाण पत्र
(12) सेवा इतिहास
(13) अन्तिम दस माहों का औसत वेतन विवरण

2- उल्लेखनीय है कि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ की विशेष लेखा परीक्षा के रिपोर्ट में श्री राठौर द्वारा रू0 2,80,584/- का अधिक आहरण किया जाना पाये जाने पर प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक-अनु0का0-348/जे0एस0राठौर, दिनांक 26-10-2010 द्वारा श्री राठौर से रू0 2,80,584/- की वापसी कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। इसके विरूद्ध श्री राठौर द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में निर्देश याचिका संख्या-619/2010 दायर की गयी। मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 30-12-2010 द्वारा धनराशि की वापसी कराये जाने सम्बन्धी आदेश को स्थगित कर दिया। मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के आदेश के क्रम में श्री राठौर से धनराशि की वापसी रोक दी गयी। निर्देश याचिका संख्या-619/2010

मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में अभी भी विचाराधीन है। अत: श्री राठौर को भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी निर्देश याचिका संख्या-619/2010 में मा0 लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय के अधीन रखा जाना उचित होगा ।

अत: उक्त के दृष्टिगत श्री जय सिंह राठौर, भा0व0से0(से0नि0) को पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या:- 2712 (1)/14-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री जय सिंह राठौर, भा0व0से0 (से0नि0), 02/114 सेक्टर जे0 जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ-226021 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in